

फर्द अहकाम

ACM डामेरु - जयपुर

न्यायालय

मजूर बनाम रावेरा

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 32 / 20 2

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21	12/2022	<p>पञ्जावली प्रस्तुत / उर्षी कृषिकर्मा उपन। उर्षी अनुपस्थित। जवाब उपर्युक्त अवलोकन किया जाता है। उर्षी के निवेदन सिद्ध की उर्षीगण को जारिपे अस्थाई निर्देशाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता उर्षी को अग्रणीय शक्ति होगी। पञ्जावली का अवलोकन किया गया। यूजि मूलवाद तन्हासमें से संकल्पित है। मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः प्रथम दृष्टया तर्कों के प्रकाशमें उर्षीपक्ष को अस्थाई - निर्देशाज्ञा से पाबन्द किया जाता है डि खसप नम्बर 618 रकबा 4.9300 ईकैर वाले ग्राम देवगुदा तहसील डामेरु जिला जयपुर में विशिष्ट भू-भाग का बँधान मूलवाद के निस्तारण तक नही करें। पञ्जावली फैसल शुगर हेक्टर शुद्धि इन्तर हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर